

झारखण्ड जन वितरण प्रणाली

Summary PPT



Compiled by LibTech India
दिसंबर 2024

1939 - अंग्रेजों के समय का राशन प्रणाली

अकाल और भोजन की कमी का समाधान

1960 - जन वितरण प्रणाली

नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा

1964- FOOD CORPORATION OF INDIA (FCI) ACT

एफ.सी.आई. किसानों से एम.एस.पी. पर अनाज खरीदती है और राज्य सरकारों को स्टॉक भेजती है।

1992- जन वितरण प्रणाली में बदलाव

पहाड़ी, सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों को कवर किया गया

1997- लक्षित जन वितरण प्रणाली

सबसे कमजोर आबादी को लक्षित करते हुए APL और BPL कार्ड आवंटित किए गए।

2000- अन्तोदय अन्न योजना

AAY कार्ड शुरू किये गए

2001- PUCL V. UNION OF INDIA

भारतीय संविधान के Article 21 के तहत भोजन के अधिकार की मांग। “भूके पेट भरे गोदाम, अन्याय है अपराध है”

2013- NATIONAL FOOD SECURITY ACT (NFSA)

75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त हुआ

2015- पी.डी.एस. का डिजिटलिकरण

झारखंड में 2015 से चरणों में एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण लागू किया गया।

2017- डाकिया योजना

PVTG परिवारों के घर तक मुफ्त में खाद्यान्न पहुंचना शुरू हुआ

2019- ONE NATION ONE RATION CARD (ONORC)

राशन कार्ड धारक देश के किसी भी एफ.पी.एस. पर राशन उठाने जा सकता है

2020- JHARKHAND STATE FOOD SECURITY SCHEME (JSFSS)

NFSA द्वारा छूटे हुए लोगों को ग्रीन राशन कार्ड जारी किए गए

राशन कार्ड का प्रकार	योजना	पात्रता*	झारखण्ड में सदस्यों को शामिल (लगभग)
PHH(Priority Household) प्राथमिक घर	NFSA	5 किलो प्रति व्यक्ति- 4 किलो चावल +1 किलो गेहूँ और 1 लीटर किरोसिन तेल प्रति कार्ड	2.29 कड़ोड़
AAY (अंत्योदय अन्न योजना)	NFSA	35 किलो प्रति परिवार- 28 किलो चावल + 7 किलो गेहूँ और 1 लीटर किरोसिन तेल	34.36 लाख
Green Card (हरा कार्ड)	झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना	5 किलो प्रति व्यक्ति- 4 किलो चावल + 1 किलो गेहूँ और 1 लीटर किरोसिन तेल प्रति कार्ड	20.08 लाख
White Card (सफेद कार्ड)	NFSA	1 लिटर केरसीन तेल प्रति कार्ड	13.41 लाख

हरा कार्ड (झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना)

- इसे क्यों पेश किया गया और क्यों लाया गया - 2011 जनगणना के आधार पर केंद्र सरकार ने NFSA में राशन कार्डधारी पर सीमा लगा दिया है। इसलिए कई योग्य व्यक्ति इस योजना से वंचित रह गये हैं।
- झारखंड में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.3% है और फिलहाल झारखण्ड की जनसँख्या का आंकड़ा 4 कड़ोड़ है। झारखंड सरकार NFSA कोटा से बाहर रह गए लोगों के लिए नए राशन कार्ड जारी करने के लिए 2020 में **झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना** लेकर आई। इन्हें हरा (green) राशन कार्ड के रूप में जारी किया जा रहा है।
- इस योजना में झारखण्ड में 20 लाख हकदार को जोड़ने का काम चल रहा है।

डाकिया योजना

- 2017 में झारखण्ड राज्य सरकार ने **डाकिया योजना** लाया था जो AAY के अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को राशन लेने में आ रही दिक्कतों को मद्देनज़र रख कर लाया गया।। अन्य सभी योजनाओं (इसके लॉन्च के समय) में राशन कार्ड धारकों से चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए प्रति किलोग्राम खाद्यान्न पर 3/2/1 शुल्क लिया जाता है, डाकिया योजना के तहत PVTG परिवार को उनका राशन के दरवाजे में और बिना शुल्क /मुफ्त में पहुंचाया जाता है। हालाँकि डाकिया योजना के अन्तरगत केवल उन PVTG परिवार को ही लाभ मिलता है

झारखण्ड की जनसंख्या - जनगणना 2011 में - 3.29cr.
हालांकि 22.3% दशकीय वृद्धि के अनुसार जनसंख्या 2020 का
आंकड़ा **4 कड़ोड़** के लगभग लगाया जा रहा है

NFSA के तहत झारखण्ड में 86.% ग्रामीण
आबादी एवं 60 % शहरी आबादी के अनुसार
2.64 cr. (PHH+AAY) का अधिकतम
संख्या निम्नधारित किया गया है।

2020 में लगभग 9.5 लाख राशन कार्ड लंबित
थे, जिसमें करीब 28 लाख हकदार हैं।*

NFSA में अधिकतम लाभुकों माँ
सिमित होने के कारण हरा राशन कार्ड
लाया गया। वर्तमान में हर राशन कार्ड
के लिए 20 लाख लाभुकों का सिमित
रखा गया है।

* झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 2020 के संकल्प के अनुसार

Table 2.1 जन वितरण प्रणाली का जीवन चक्र



कौन अपात्र हैं ?

मापदंड	विवरण
आयकर	आवेदक या परिवार के सदस्य आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर देता हो.
सरकारी नौकरी/ व्यवसाय	आवेदक या परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी/ उद्योग/ उपक्रम में कार्यरत हो.
	आवेदक या परिवार के अन्य सदस्य का अपना व्यवसाय/उद्योग सरकार के साथ पंजीकृत हो
जमीन	अपना 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो
घर/मकान	पक्का दीवार और छत के साथ 3 कमरा या अधिक हो। (यदि हकदार का सरकारी योजना के अन्तर्गत मकान का निर्माण हुआ हो तो उसको छोड़ के)
वाहन	एक या इससे अधिक चार-पहिया का वाहन
कृषि उपकरण	कृषि उपकरण जैसे थ्रेशर ट्रैक्टर आदि, जो 5 लाख या अधिक कीमत का हो

Fig 2.3 प्राथमिकता सूची



Source- PDS
Control Order
2022, ref. sec4(ii)
& appendix 4

आवेदन

- हकदार RCMS पोर्टल के स्वयं या प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से द्वारा आवेदन कर सकते हैं
- खुद से आवेदन करने के लिए आवश्यक चीजें – लैपटॉप, मोबाइल, इन्टरनेट कनेक्शन, स्कैन कीये गए दस्तावेज।
- राशन कार्ड से सम्बंधित विभिन्न प्रकार का आवेदन किया जा सकता है, जो निचे दिया गया है।

- नया राशन कार्ड – बस हरा और सफेद कार्ड
- मौजूदा राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए (एक बार में केवल एक सदस्य नाम जोड़ने का आवेदन किया जा सकता है)
- एक राशन कार्ड से अन्य राशन कार्ड में नाम ट्रांसफर करना अपने जिला के अन्दर
- डीलर बदलना
- राशन कार्ड में सदस्य का आधार जोड़ना
- राशन कार्ड में मोबाइल न० जोड़ना
- राशन कार्ड समर्पण (surrender)
- मौजूदा राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटवाना
- राशन कार्ड में परिवार के मुखिया बदलना
- राशन कार्ड में नाम, रिश्ता, लिंग का सुधार

पावती संख्या
(acknowledgement
number)/ राशन कार्ड
संख्या के माध्यम से
आवेदन ट्रैक करने का
सुविधा भी देती है।

आवेदन का प्रकार	विवरण	ज़रूरी दस्तावेज़	अन्य दस्तावेज़
नया राशन कार्ड	<ol style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत विवरण बैंक विवरण समावेशन और अपवर्जन मानक के लिए विवरण परिवार के सदस्यों का व्यक्तिगत विवरण डीलर की जानकारी जहाँ से आगे जा कर राशन लेना चाहते हैं। परिवार के कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर 	अपलोड करने के लिए आधार का स्कैन कॉपी (jpg/png)	<ol style="list-style-type: none"> PVTG/ ST/SC प्रमाणपत्र, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है लेकिन इसे अपलोड करना सबसे अच्छा रहेगा। आवेदक मांगे जाने पर मुखिया से सत्यापन का दस्तावेज़ भी दे सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि आवेदक विधवा है)। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो मुखिया से सत्यापन दस्तावेज़। विकलांगता प्रमाण पत्र, (विकलांगता के मामले में) गंभीर बीमारी की स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट पेट्रोल सब्सिडी जैसी किसी अन्य सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बैंक पासबुक
नाम में सुधार: स्वयं/पिता/पति/माता का	<ol style="list-style-type: none"> ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो परिवर्तित नाम 	<ol style="list-style-type: none"> नाम सुधार के लिए स्व-घोषणा पत्र। स्कूल प्रमाणपत्र/आधार/नोटरीकृत दस्तावेज़ 	

आवेदन का प्रकार	विवरण	ज़रूरी दस्तावेज़	अन्य दस्तावेज़
मौजूदा राशन कार्डों में सदस्यों को जोड़ना *एक समय में केवल एक ही सदस्य जोड़ा जा सकता है।	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2. व्यक्तिगत विवरण 3. कार्ड धारक से संबंध 4. मोबाइल नंबर 5. अतिरिक्त विवरण (प्राथमिकता सूची के लिए) 6. आधार नंबर 7. बैंक विवरण (वैकल्पिक) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपलोड करने के लिए नए सदस्य का आधार का स्कैन कॉपी (jpg/png) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. . यदि आवश्यक हो तो PVTG/SC/ST प्रमाणपत्र। 2. मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि आवेदक विधवा है) । यदि मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो मुखिया से सत्यपान प्रमाण पत्र प्राप्त करें। 3. विकलांगता प्रमाण पत्र, (विकलांगता के मामले में) 4. गंभीर बीमारी की स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट
डीलर बदलना	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2. नए डीलर का रजिस्टर्ड नाम 	<ol style="list-style-type: none"> 1. डीलर परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा पत्र। 	

आवेदन का प्रकार	विवरण	ज़रूरी दस्तावेज़	अन्य दस्तावेज
राशन कार्ड के मुखिया का परिवर्तन	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2. व्यक्ति का नाम जो नए राशन कार्ड के मुखिया हैं 3. अन्य सदस्यों के साथ संबंध 	राशन कार्ड के मुखिया में परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा प्रपत्र – जिसमें परिवर्तन का कारण दिया हो – मृत्यु, दिव्यांग, गंभीर बीमारी या बुजुर्ग होने के वजह से निशक्त	
राशन कार्ड सरेंडर करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटीपी लॉगिन के लिए घर के मुखिया का मोबाइल नंबर जो उनके आधार से लिंक हो 2. सरेंडर करने का कारण 	राशन कार्ड सरेंडर करने हेतु स्व-घोषणा पत्र।	

आवेदन

ब्लाक स्तर में
सत्यापन

ज़िला स्तर
में मंजूरी

पी डी एस डाटाबेस
में बदलाव

RCMS

स्वयं
प्रजा केंद्र
ब्लाक ऑफिस
कैम्प


ब्लाक आपूर्ति
पदाधिकारी
(BSO/MO)

ब्लाक कंप्यूटर
ऑपरेटर

ज़िला आपूर्ति
पदाधिकारी
(DSO)

ज़िला कंप्यूटर
ऑपरेटर

आहार पोर्टल
में विभिन्न
रिपोर्ट



यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न प्रकार के आवेदनों को मंजूरी मिलने में अलग-अलग समय लगता है।

PDS Control order 2022(section 8(viii) और झारखंड सेवा का अधिकार गारंटी (RTGS ACT.) अधिनियम के अनुसार, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया में 60 दिन लगने चाहिए।

Table 2.4: आवेदनों के स्वीकृति/अस्वीकृति की समय-सीमा

मुद्दा	जिम्मेदार ऑफिसर	समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
नये राशन कार्ड आवेदन पर निर्णय	निर्णय लेने हेतु अनुमंडल अधिकारी या सक्षम पदाधिकारी (BSO/DSO)	60 दिन	उपायुक्त 21 दिन	प्रमंडल आयुक्त 15 दिन
पते में परिवर्तन (लेकिन डीलर के क्षेत्र के भीतर)	(BSO/DSO)	2 दिन	-	-
डीलर में बदलाव के साथ-साथ पते में भी बदलाव	(BSO/DSO)	7 दिन	-	-

ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें

- एकनोलेजमेंट (पावती) संख्या की एक प्रति अपने साथ सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आवेदन को ट्रैक करने और रसीद के रूप में उपयोग करने में मदद करेगी। आवेदक RCMS. में पावती संख्या या राशन कार्ड संख्या (नए राशन कार्ड के आवेदन को छोड़कर) के माध्यम से अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। (MIS [में SI no. 13 का संदर्भ लें](#))
- सदस्य जोड़ने के आवेदनों में, DSO द्वारा स्वीकृति के बाद, ज्यादातर आवेदन प्रतीक्षा सूची में रखे जाते हैं और NFSA. कार्ड के कोटा में जगह खाली होने के बाद राशन कार्ड में जोड़े जाते हैं।

राशन वितरण

ऑनलाइन epos द्वारा

4 तरह के प्रमाणीकरण -

1. बायोमेट्रिक (अंगूठा)
2. OTP (आधार/RC से लिंक किया हुआ)
3. IRIS स्कैन
4. अपवाद पंजी

ऑफलाइन (रजिस्टर में
अंगूठा/हस्तांतर लगा के)

1. महीने के अंत में, डीलर को सभी लेनदेन अपलोड करना होगा और इसे अपने बायोमेट्रिक के माध्यम से प्रमाणित करना होगा।
2. कुछ ब्लॉकों में डाकिया योजना का राशन इसी माध्यम से वितरित किया जाता है

Table 2.5 बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सफल प्रमाणीकरण के लिए चेकलिस्ट

धारक	<ul style="list-style-type: none">✓ सदस्यों के आधार को राशन कार्ड से जोड़ा जाना । (आधार सीडिंग)✓ बायोमेट्रिक PDS डाटाबेस और आधार के डाटाबेस से मैच होना चाहिए, इसलिए समय समय पर बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना चाहिए ।
डीलर/उचित मूल्य की दुकान	<ul style="list-style-type: none">✓ EPOS मशीन को चार्ज करने के लिए बिजली।✓ इंटरनेट/नेटवर्क उपलब्धता

सफल आधार सीडिंग के लिए आधार डेटाबेस में व्यक्ति के नाम का पीडीएस डाटाबेस में नाम से मेल खाना आवश्यक है

Epos मशीन कार्य कैसे कर्ता है - [यहाँ देखें](#)

💡 ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें-

- आवंटित महीने का स्टॉक प्राप्त होने के बाद - डीलर खाद्यान्न वितरण कर सकता है।
- डीलर को प्रतिदिन (अन्तरगत घोषित अवकाश एवं साप्ताहिक बंदी के अलावा) कम से कम 6 घंटे के लिए खुला रहना चाहिए।
(श्रोत: PDS control 2024 order 21.(i))
- आधार सीडिंग की सुविधा डीलरों के पास उपलब्ध है। हालाँकि ये कभी कभी पूर्ण रूप से नहीं चलता है। हकदार इसके बारे में डीलर से जानकारी ले सकते हैं।
- डीलर अपने साथ राशन कार्ड का कॉपी नहीं रख सकता। ये कार्डधारी का हक है की राशन कार्ड कॉपी अपने साथ ही रखें
- राशन लेते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए की डीलर सही नाप से खाद्यान्न का तोल के ही राशन दे रहा हो।
- प्रमाणीकरण के बाद तुरंत उसी दिन ही राशन मिलना चाहिए। और epos से निकला स्पील भी अपने पास रखना चाहिए।
- PDS Control Order 2022 के अनुसार, हकदार किसी विशेष माह का राशन अगले माह भी ले सकते हैं।

सरकार द्वारा निगरानी

PDS control order 2024 sec6(X) के अनुसार, जिला या उच्च अधिकारी, कुछ परिस्थितियों में परिवार और पंचायत प्रतिनिधियों (मुखिया या वार्ड सदस्य) को उनके मुद्दे को समझने और सत्यापित करने के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं।

संबंधित BSO द्वारा उचित सत्यापन के बाद, जिला अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड डिलीट किए जा सकते हैं। ये परिस्थिति हैं-

1. यदि कार्ड धारक का परिवार अपवर्जन मानदंड/अपात्र मापदंड के अंतर्गत आता है।
2. यदि पिछले छह महीने या उससे अधिक समय में राशन नहीं उठाया गया है
3. यदि सदस्य की मृत्यु हो गई हो.
4. यदि कार्डधारक ने स्वयं अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है
5. डुप्लीकेट राशन कार्ड के मामले में

PDS control order 2024 sec5 (iii) पहचान सुनाक्षित करने के उद्देश्य से आवश्यकता अनुसार प्रत्येक कार्डधारको का सत्यापन सुनाक्षित कराया जायेगा ।

NFSA द्वारा जनहित के लिए प्रावधान - जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए

Vigilance Committee - NFSA धारा 29 के अनुसार, पीडीएस की पारदर्शिता और उचित कार्यप्रणाली और ऐसी प्रणाली में पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य, जिला, ब्लॉक और डीलर स्तर पर सतर्कता समितियां स्थापित करने का प्रावधान है। सतर्कता समिति से तीन मुख्य कार्य करने की अपेक्षा की जाती है-

- (a) अधिनियम के तहत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करना।
- (b) किसी भी मुद्दे को जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ लिखित सूचना DGRO को देना
- (c) धन राशि का दुरुपयोग के मामलों में हस्तक्षेप करना।
 - विभिन्न विभागों के कई लोग शामिल हैं। जन प्रतिनिधि के सदस्य, विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधि, सांसद/विधायक, संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारी, SC/ST, विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व।
 - इन समितियों को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 महीने में एक बार बैठक करनी चाहिए।

NFSA धारा 28 – सोशल ऑडिट

NFSA धारा 27 निरीक्षण के लिए
सार्वजनिक डोमेन में पीडीएस के
रिकॉर्ड का खुलासा

शिकायत निवारण प्रणाली- NFSA के प्रावधान

- धारा - 14- आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र- NFSA के तहत प्रत्येक विभाग आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी होगी
- धारा-15- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (DGRO) के कामकाज के लिए दिशा-निर्देश, उनके कार्य और शक्तियां
- धारा-16- राज्य खाद्य आयोग (कार्य एवं उत्तरदायित्व), शक्ति, जांच करने की प्रक्रिया, आदि

शिकायत निवारण के विभिन्न तंत्र

आन्तरिक शिकायत निवारण प्रणाली

ज़िला शिकायत निवारण पदाधिकारी

स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
(अपीलीय अधिकारी)

जिम्मेवार विभाग	पोर्टल / ईमेल आईडी
सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले (राज्य सरकार)	Portal- https://pgms.dfcajharkhand.in/ Email ID- pgms@dfcajharkhand.in Phone No.- 1800-212-5512 or 1800-212-1967 Whatsapp no. +91 89695 83111
DGRO	सभी DGRO का पता विवरणी - लिंक
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग	Portal/शिकायत हेतु - www.jharkhandsfc.in/ Email ID- mail@jharkhandsfc.in Whatsapp No./SMS- 9142622194 Write to - 2nd Floor, Jharkhand State Housing Board, Old Building, Harmu Housing Colony, Ranchi - 834002, Jharkhand

नोट :- किसी शिकायत पर लिखित कार्यवाही करने के लिए प्रारंभिक समय सीमा समाप्त होने के बाद DGRO 30 दिनों का समय ले सकते हैं।

जिम्मेदार व्यक्ति/विभाग (Stakeholder)	Portal www.jharkhandsfc.in/ लिखित शिकायत	Whatsapp (9142622194)
DGRO	<ol style="list-style-type: none"> 1. शिकायतकर्ता से शिकायत प्राप्त करते हैं। 2. लिखित कार्यवाही करने से पहले अधिकारियों जाँच करवाते हैं। 3. सबुत के अधार पर शिकायत पे 30 दिन के अन्दर कार्यवाही करते हैं। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. खाद्य आयोग से शिकायतें प्राप्त करते हैं। 2. लिखित कार्यवाही करने से पहले अधिकारियों जाँच करवाते हैं। 3. सबुत के अधार पर शिकायत पे 30 दिन के अन्दर कार्यवाही करते हैं।
खाद्य आयोग	<ol style="list-style-type: none"> 1. DGRO की कार्यवाही के खिलाफ शिकायतकर्ता का अपील सुनते हैं। (लिखित शिकायत शिकायतकर्ता के लिए कम सुबिधाजक है) 2. कार्यवाही के लिए सम्बंधित अधिकारी को शिकायत भेजते हैं। 3. जाँच के अधार पर आदेश पारित करते हैं। 4. आदेश का कार्यान्वयन नहीं करने की स्थिति में सम्बंधित पदाधिकारी पर जुर्माना लगाते हैं। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. whatsapp से प्राप्त शिकायत को सीधा सम्बंधित DGRO को भेजते हैं। 2. शिकायतकर्ता को जाँच (पत्र), आदेश पत्र और अंत में क्रियान्वयन प्रमाण देते हैं। 3. क्रियान्वयन या जाँच के लिए सम्बंधित अधिकारी को शिकायत भेजते हैं। 4. जाँच के अधार पर आदेश पारित करते हैं। 5. आदेश के क्रियान्वयन नहीं करने की स्थिति में सम्बंधित पदाधिकारी पर जुर्माना लगाते हैं।
कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी (BSO/DSO/DC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. जाँच के लिए जानकारी उपलब्ध कराता है। 2. DGRO/ खाद्य आयोग द्वारा दिए गये आदेश को लागु करते हैं। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जाँच के लिए जानकारी उपलब्ध कराता है। 2. DGRO/ खाद्य आयोग द्वारा दिए गये आदेश को लागु करते हैं।

S. No	Application	Stakeholder concerned	Application process (in brief)	Our estimate on application approval
1	Getting new Ration card– Green Ration card	BSO and DSO	Mandatory Aadhaar card. Important document for getting priority- Caste certificate(for ST/SC/PVTG), death certificate(for widows), satyapit cert from Gram Mukhiya/gramsabha for Nirashrit or single women.	Moderate to Difficult (limited number of maximum beneficiaries to be enrolled in Green ration card). Often applications are rejected by BSO or DSO due to lack of certificate or are kept pending.
2	Getting name added to existing ration card.	BSO and DSO	Mandatory Aadhaar card. Important document for getting priority- Caste certificate(for ST/SC/PVTG), death certificate(for widows). Mobile and Aadhaar linked for Head of the family	Difficult (limited number of maximum beneficiaries are limited under NFSA. in addition, the maximum quota is bases on census 2011) In practice, applications are kept pending or are in waiting list.
3	Getting dealer changed	BSO,DSO	Submit application online. Need registered name of the dealer Mobile and Aadhaar linked for Head of the family	Easy (should require 3-5 days for approval)
4	Deleting name from the ration card	BSO,DSO	Requires self declaration, in case of removal of name due to death may ask for death certificate in addition. Mobile and Aadhaar linked for Head of the family	Easy to moderate (in cases of pending at BSO/DSO level, they may ask for additional certificate)

S. No	Application	Stakeholder concerned	Application process (in brief)	Our estimate on application approval
5	Changing Head of Family	BSO and DSO	<p>Self declaration- declaration the reason for change- death of the previous HOF, disability, illness, inability due to oldage. Relations with other members. Aadhaar based OTP for login.</p>	<p>Easy to Moderate (especially in case of death of previous HOF, they may require OTP login for online application. This is difficult if the aadhaar is not linked with mobile of the dead HOF. Hence they may even have to contact DSO.)</p>
6	Name correction of self/other members	BSO and DSO	<p>Requires proof on the basis of making changes - Aadhaar/school certificate/affidavit Mobile and Aadhaar linked for Head of the family for online application.</p>	<p>Easy to Moderate (moderate in case if they don't have)</p>
7	Aadhaar seeding - linking aadhaar with ration card	BSO and DSO, Dealer can also do it through EPOS	<p>Aadhaar card of the member, working EPOS, working biometric BSO office also facilitate the linking. DSO can be reached out in case biometrics are not accepted</p>	<p>Moderate (Difficult for those whose biometrics are not accepted, they may have to travel to DSO office.)</p>

